न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल बोर्ड ग्वालियर म.प्र. केम्प सागर

निगरानी-3358/2018/टीकमगढ़/अ.प्र.

भान सिंह उर्फ भावत तनय प्रेमलाल लोधी 2- भैयन तनय प्रेमलाल लोधी

3- मुकेश तनय प्रेमलाल लोधी 4- गुलाब तनय प्रेमलाल लोधी

5- सावित्री तनय प्रेमलाल लोधी 6- देवका तनय प्रेमलाल लोधी

सभी निवासी ग्राम सूडा धरमपुरा तह. जिला टीकमगढ

--निगरानीकर्तागण

// विरूद्ध //

1- गजराज तनय सरमन लोधी 2- जालम तनय घनश्याम लोधी

3- चिंतामन वल्द घनश्याम लोधी 4- रामबाई पत्नि घनश्याम लोधी

5- गौरिया बाई पत्नि वृंदावन लोधी 6- सुधा देवी पति रामेश्वर

सभी निवासी ग्राम सूडा धरमपुरा तह. जिला टीकमगढ

-- उत्तरवादीगण

प्र, क्र. प्रस्तुत दिनांक 20/3/18

आवेदन पत्र अन्तर्गत निगरानी/ पुनरीक्षण धारा 50 मप्र.भू.रा.सं.1959

निगरानीकर्ता/ आवेदक गण की ओर से निम्न प्रार्थना है :--

1- यह कि यह निगरानी/ पुनरीक्षण अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग के प्र. क्र.930 अपील वर्ष 2016-17 आदेश दिनांक 24-1-2018 से दुखित होकर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है ।

निगरानी का विवरण

1- यहकि मौजा सूडा धरमपुरा तह. जिला टीकमगढ मे स्थित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3358/2018/टीकमगढ़/भू.रा. भानसिंह विरूद्ध गजराज

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-06-2018	आवेदक की ओर से श्री सुरेन्द्र पटेल, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-01-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के द्वारा दिया गया आदेश निम्नानुसार है । उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक गजराज एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है । अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 12-07-2017 निरस्त किया जाता है । एवं बंटवारा पंजी 32 एवं नायब तहसीलदार टीकमगढ़ का आदेश 3/अ-91 के अनुसार राजस्व अभिलेख में सुधार किया जावे । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 27/6	